



राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

File No. Tour Report/State/2022-Coord.

Dated: 12.07.2022

To

1. **The Chief Secretary,**

Govt. Maharashtra,
CS Office Main Building, Mantralaya,
6th Floor, Madame Cama Road,
Mumbai-400032.
(Maharashtra).

2. **The Chief Secretary,**

Govt. of Gujarat,
Sachivalaya,
Gandhinagar –382010.
(Gujarat).
Email: csguj@gujarat.gov.in

3. **The District Collector,**

District - Nandurbar,
Nandurbar – 425412.
(Maharashtra).
Email: collector.nandurbar@maharashtra.gov.in

Sub: Tour Report of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST to the States of Gujarat and Maharashtra from 11th to 12th February, 2022.

Sir,

I am directed to enclose a copy of Tour Report of Shri Harsh Chouhan, Hon'ble Chairperson, NCST to the States of Gujarat and Maharashtra from 11th to 12th February, 2022 for ready reference on the subject cited above.

2. It is, therefore, requested that appropriate action taken / to be taken on the points raised / recommendations in the Tour Report may be furnished the Report to the Commission at the earliest.

(Encl: as above)

Yours faithfully,

(S. P. Meena)

Deputy Director

Tel: 011-24657272.

Email: assttdir.ru2@ncst.nic.in

Copy for information to:

1. Shri R. K. Dubey, Deputy Director, Room No. 309, Nirman Sadan, CGO Complex, 52-A, Arera Hills, Bhopal – 462011.
2. PS to Hon'ble Chairperson, NCST
3. NIC (for uploading on the website of the Commission).

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
प्रवास प्रतिवेदन

1. दौरा करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम	श्री हर्ष चौहान माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली श्री अनंत नायक माननीय सदस्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली श्री प्रसन्ना कुमार परिडा माननीय सदस्य के निजी सचिव नई दिल्ली श्री अभय आलोडे अध्यक्ष के निजी सहायक
2. दौरे की तिथि	11 और 12 फरवरी 2022
3. दौरा किये गये स्थान	1. छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्यमंदिर, नंदुरबार 2. होटल हीरा एग्जीक्यूटिव, नंदुरबार
4. मुख्य अधिकारीगण/संगठनों/व्यक्तियों से मिले -	
i.	श्री आशीष चवन, एबीवीपी
ii.	श्री योगेश सोमन, अभिनेता
iii.	श्रीमती इला गावित - एबीवीपी
iv.	श्री गिरीश महाजन - एबीवीपी
v.	श्री संतोष पाटिल - एबीवीपी
vi.	प्रो निर्भय विस्पुते - एबीवीपी

Harsh Chouhan
हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN

अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

vii.	श्री अनिल थोम्ब्रे - एबीवीपी
viii.	प्रो डॉ. सारंग जोशी - एबीवीपी
ix.	सुश्री अंकिता पवार - एबीवीपी
x.	श्री भूषण देशपांडे - एबीवीपी
xi.	श्री जयेश सोनवणे - एबीवीपी
xii.	श्री गजानन डांगे
xiii.	डॉ विशाल वाल्मी
xiv.	श्री संजय काकडे - सहायक परियोजना अधिकारी, परियोजना कार्यालय, नंदुरबार
xv.	श्री एम. एच. गामित - उप निदेशक, अनुसूचित जाति, सूरत
xvi.	श्री सिद्धेश्वर लटपटे - एबीवीपी
xvii.	एडवोकेट रोहन गिरासे
xviii.	श्री राजेंद्र गावित
xix.	श्री वरूण गावित
xx.	श्री वीरेंद्र वाल्मी
xxi.	श्री गिरीश वसावे
xxii.	श्री भरत पवार
xxiii.	श्री रवि वाल्मी
xxiv.	श्रीमती कल्पना पडवी
xxv.	श्री तानाजी बहिराम

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

2. 12 फरवरी 2022 को होटल हीरा एग्जीक्यूटिव, नंदुरबार में जनजाति प्रतिनिधि के साथ बैठक -

दिनांक 12-02-2022 को श्री हर्ष चौहान, माननीय अध्यक्ष तथा श्री अनंत नायक, माननीय सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नई दिल्ली द्वारा जिला नंदुरबार महाराष्ट्र का दौरा किया गया। इस दौरा कार्यक्रम में माननीय अध्यक्ष महोदय, वैयक्तिक सहायक श्री अभय अलोडे, माननीय सदस्य महोदय के वैयक्तिक सहायक, श्री प्रसन्ना कुमार परिदा एवं सुश्री दीपिका खन्ना, अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल भी सम्मिलित थे।

दिनांक 12-02-2022 को प्रातः 9:15 बजे माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्य महोदय द्वारा नंदुरबार जिले के अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई।

1. अनुसूचित जनजातियों के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में

डॉ. विशाल वाल्मी, नंदुरबार ने माननीय अध्यक्ष को अनुसूचित जनजाति के फर्जी जाति प्रमाण पत्रों के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने कहा की महाराष्ट्र राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही प्रशासन द्वारा सही समय पर नहीं की जा रही है, जिससे फर्जी जाति प्रमाण पत्र प्राप्त लोग अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त संवैधानिक अधिकारों का अवैधानिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। उन्होंने श्रीमती लता ताई सोनकर, एम.एल.ए. के फर्जी जाति प्रमाण पत्र पर चर्चा करते हुये कहा कि उनका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में है। जिस पर महाराष्ट्र राज्य की जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, फिर भी अभी तक कार्यवाही लंबित है।

इस बिंदु पर अध्यक्ष महोदय ने कहा कि फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर कार्यवाही राज्य सरकारों की उच्च स्तरीय जांच सामिती करती है। जांच समिति की रिपोर्ट पर माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई की जाती है। माननीय न्यायालय द्वारा संबन्धित राज्य उच्च स्तरीय जांच सामिती को पुनः फर्जी जाति प्रमाण पत्र की जांच करने के आदेश दिये जाते हैं जिस पर उच्च स्तरीय जांच सामिती अपनी रिपोर्ट पुनः माननीय उच्च न्यायालय को प्रस्तुत करती है। तत्पश्चात माननीय उच्च न्यायालय अपना फैसला देते हैं। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश से असंतुष्ट होकर मामला माननीय उच्च न्यायालय तक जाता है यदि माननीय उच्च न्यायालय को उच्च स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कोई कमी दिखाई देती है तो वे पुनः उच्च स्तरीय जांच सामिती को पुनः जांच के लिये कहते हैं। फर्जी जाति प्रमाण पत्रों पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार आयोग को जांच करने के आदेश नहीं है। आपके द्वारा बताया गया मामला भी माननीय उच्च न्यायालय में है, अतः माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा करें।

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi



माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य महोदय ने होटल हीरा एकजीक्यूटिव, नंदुरबार में जनजाति प्रतिनिधियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की।

2. किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड के संबंध में

एडवोकेट रोहन गिरासे जी ने बताया कि वन अधिकार संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा नहीं मिल रही है यह इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या है। प्रशासन द्वारा जब वन क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों को भूमि के पट्टे दे दिये गये हैं, उन्हें राज्य शासन द्वारा संचालित अनुसूचित जनजातियों की विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है, फिर भी राष्ट्रीय बैंको द्वारा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित रखा जा रहा है। अभी कुछ समय पूर्व ही हमारे बार-बार बैंक प्रबंधनों के साथ बैठक करने के पश्चात 27 किसानों को पहली बार किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्राप्त हुई है जिसमें से 12 लोगों के खातों में 3 लाख रु बैंक द्वारा स्वीकृत किये गये हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस विषय पर प्रकाश डालते हुये कहा कि महाराष्ट्र राज्य में वन अधिकार संरक्षण अधिनियम के नियमों को सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। आयोग के समक्ष यह बात सामने आई है की महाराष्ट्र राज्य में अलग-अलग जिलों में वन संरक्षण अधिनियम के अलग-अलग तरह से व्याख्या कर उनका लाभ अनुसूचित जनजातियों को नहीं दिया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आयोग के समक्ष पालघर जिले के जवार तहसील के वन अधिकार क्षेत्र के पट्टों का मामला सामने आया है। जिसमें यह ज्ञात हुआ की अनुसूचित जनजातियों को पट्टे दिये जाने के बाद भी उन्हें अपनी जमीन पर मकान बनाने, कुआँ खोदने का अधिकार नहीं है। जबकि गढ़चिरोली जिले में अनुसूचित जनजातियों को उपरोक्त सभी सुविधाएं प्राप्त है जिनको वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत पट्टे दिये गये है।

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. कोराना काल में विद्यार्थियों की शिक्षण के संबंध में

डॉ. विशाल वाल्मी द्वारा महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जनजातियों के लोगों को कोविड काल में शिक्षा का बहुत नुकसान हुआ है पिछले दो शिक्षा सत्र (2020-21 एवं 2021-22) में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा प्रभावित हुई है। ऑनलाइन शिक्षा के नाम पर बच्चों को शिक्षा का लाभ नहीं मिला है। इस विषय पर राज्य शासन द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, 2 वर्षों की शिक्षा से प्राप्त होने वाले ज्ञान का जो नुकसान हुआ है उसे विशेष योजना बनाकर शिक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस विषय पर आपके पास पिछले दो वर्षों में अनुसूचित जनजाति वर्ग के बच्चों का शिक्षण स्तर में हुये नुकसान की भरपाई करने का यदि कोई कार्यक्रम/योजना है तो आयोग के समक्ष रखिए आयोग उसमें आवश्यक कार्यवाही करते हुये राज्य सरकार को आवश्यक कार्यवाही हेतु लिखेगा।

4. वंदन केंद्र योजना के संबंध में

श्री तानाजी बहिराम ने बताया कि मेघघाट के अनुसूचित जनजाति के लोगों हेतु वंदन केंद्र योजना के अंतर्गत ऑनलाइन करने की प्रक्रिया की गई है। पूर्व में अनुसूचित जनजाति के सदस्य वनोपज को गुजरात में ट्राईफेड को संकलित करके भेजते थे। वंदन केंद्र योजना के तहत नंदुरबार में डॉ. मनीष सूर्यवंशी द्वारा 10 गांव से प्राप्त वनोपज हेतु पंथप्रधान वन धन विकास केंद्र बनाने की योजना बनाई ताकि वनोपज का लाभ माईक्रो प्लानिंग के तहत अनुसूचित जनजातियों को बिना किसी बिचोलिये के मिले। किन्तु इस योजना का लाभ आज तक प्रशासकीय कार्यों में अटका हुआ है। महाराष्ट्र में शबरी महामंडल योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये राशि भेजी गई थी जिसे विभिन्न जिलों में अनुसूचित जनजातियों के वन ग्रामों हेतु उपयोग में लिया जाना था। जिसके तहत प्रत्येक गांव को 2-2 लाख रु विकास हेतु आवंटित किये जाने थे परंतु आज तक इस राशि का उपयोग नहीं किया गया है। इस राशि को सही तरह से प्रयोग में लाने के लिये भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की एक कमेटी भी बनाई गई कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट आयुक्त, अनुसूचित जनजाति विकास, महाराष्ट्र शासन, नाशिक को भेजी गई थी। जिस पर कार्यवाही की जाना चाहिए थी किन्तु इस बीच में नये नियुक्त आयुक्त, आदिवासी विकास, द्वारा चार्ज लिया गया। नये आयुक्त द्वारा रिपोर्ट पर अपना मत नहीं दिया गया तथा नई रिपोर्ट मांग ली गई। यह एक अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों का गलत उपयोग करना माना जायेगा। आयोग कृपया इस पर अपने अधिकारों का उपयोग करते हुये सहायता करें।


माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक अधिकारी के कार्य करने की पद्धती को नकारात्मक प्रदर्शित करता है आप इस विषय पर एक आवेदन बनाये जिसमें सभी तथ्यों का उल्लेख हो और उसे आयोग के पोर्टल पर भेजें।

5. अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रमाण पत्रों के संबंध में

डॉ. विशाल वाल्मी जी ने माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया कि जिला शिक्षण अधिकारी के कार्यालय में अनुसूचित जनजाति के बच्चों के प्रमाण पत्रों पर केवल अनुसूचित जनजाति का उल्लेख किया जा रहा है उनके धर्म का उल्लेख नहीं करते है। अभिभावकों द्वारा पूछे जाने पर वे महाराष्ट्र शासन के नियम का भी हवाला देते है जिसके अंतर्गत उन्हें यह निर्देश प्राप्त है कि वे अनुसूचित जनजाति के बच्चों के धर्म का उल्लेख नहीं करेंगे।

माननीय अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह एक गंभीर विषय है इस विषय पर आप जिला शिक्षण अधिकारी से प्रश्न पूछ सकते हैं की वे क्यों धर्म नहीं लिख रहे हैं? महाराष्ट्र शासन के नियम को पढिए यदि उसमें कोई इस प्रकार का उल्लेख नहीं है कि अनुसूचित जनजाति के बच्चों का जाति प्रमाण पत्र पर धर्म नहीं लिखा जायेगा, तो उसकी शिकायत पुलिस थाना में कीजिए और अपनी शिकायत पत्र की प्रति आयोग के पोर्टल पर सभी बिंदुओं का उल्लेख करते हुये भेजें और उसके साथ उन दस्तावेजों को भी संगलग्न कर भेजें जो आपकी शिकायत के समर्थन में हों। यह एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन है। आयोग इसकी जांच करने के लिये आपके आवेदन के पश्चात सक्षम होगा।

डॉ. विशाल वाल्मी द्वारा माननीय अध्यक्ष महोदय तथा माननीय सदस्य महोदय को धन्यवाद देते हुये इस बैठक का समापन किया।


हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

3. माननीय अध्यक्ष महोदय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 56 वें महाराष्ट्र प्रदेश सम्मेलन, नंदुरबार की अध्यक्षता की दिनांक 12 फरवरी 2022 को –

दिनांक 12-02-2022 को महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र प्रदेश का 56 वां प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न हुआ। यह अधिवेशन छत्रपति शिवाजी महाराज नाट्य मंदिर नंदुरबार में आयोजित किया गया। अधिवेशन के उद्घाटक डॉ. हर्ष चौहान, माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, प्रमुख अतिथि श्री आशिष चौहान, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अ.भा.वि.प. तथा श्री योगेश सोमण, सिने अभिनेता, प्रमुख उपस्थिति प्रा. निर्भय विसपुते, प. महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, अ.भा.वि.प., प्रो. सारंग जोशी, देवगिरी प्रदेश अध्यक्ष, अ.भा.वि.प., श्री अनिल ठोमरे, प. महाराष्ट्र प्रदेश मंत्री, अ.भा.वि.प., कुमारी अंकिता पवार, देवगिरी प्रदेश अध्यक्ष, अ.भा.वि.प. तथा सुश्री इला गावित, स्वागत समिति अध्यक्ष, श्री संतोष पाटील, स्वागत समिति सचिव, श्री गिरिश महाजन, स्वागत समिति कार्याध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न जिलों के विविध महाविद्यालयों से 200 से अधिक विद्यार्थियों, प्राध्यापकों तथा विविध क्षेत्र के माननीय सदस्यगण उपस्थित थे।



माननीय अध्यक्ष महोदय ने इस अधिवेशन को संबोधित करते हुये कहा कि मुझे यहा अपना मनोगत रखना है, वक्तव्य नहीं रखना है। मैंने अपने छात्र जीवन में विद्यार्थी परिषद की यात्रा देखी है, विद्यार्थी परिषद का क्या कार्य है इसे समझा है तथा छात्र जीवन में क्या काम होते है उसे देखा है। हमारे समय में कॉलेज जीवन में छात्र संगठन नहीं होते थे, उस समय छात्र रैली निकालकर एकल प्रयास किया करते थे। किन्तु उस समय हमारे उन प्रयासों का सिस्टम से सहयोग नही मिलता था और नाही हमारे इन प्रयासों का उस समय समाचार पत्रों में कोई खबर बनकर छपती थी। फिर बाद में विद्यार्थी परिषद से संपर्क किया तथा तत्पश्चात हमारे प्रयासों में उनका भी सहयोग मिला। विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन का काम पहले से ही कर रहे हैं। वर्तमान में यदि कोई विद्यार्थी समूह किसी समस्या को लेकर काम की शुरुआत(Intiative) कर रहा है तो उसको विद्यार्थी परिषद द्वारा सहयोग किया जाता है। प्रत्येक संस्था की एक संस्थागत स्मृति(Institutional Memory) होती है। इसका अर्थ है की पूर्व के छात्र संगठनों के नेताअपने अनुभवों से नये कार्यकर्ताओं को अपनी संस्थागत स्मृति के द्वारा वार्तालाप कर समृद्ध करते

Harsh Chauhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN

अध्यक्ष/Chairperson


राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

है। अखिल भारतीय परिषद में प्रतिवर्ष नए कार्यकर्ताओं का आगमन होता है। हमारे विद्यार्थी परिषद की संस्कृति का विकास इसी प्रकार हुआ। मैं संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) का उदाहरण इस प्रकार देता हूँ, कोरोना काल में झाबुआ के वृद्ध व्यक्ति से हमने यह सुना कि – “मेरे पिताजी ने बताया था कि उनके दादाजी ने बताया था कि हमारे समय में भी इस प्रकार की एक बीमारी फेली थी जिसमें बहुत लोगों के प्राण चले गये थे। हमारे पिताजी ने हमें यह भी बताया था कि उस समय गांव के लोगों ने किस प्रकार की संवधानियाँ, खानपान में बदलाव तथा क्षेत्रीय औषधियों का उपयोग किया था।” अध्यक्ष महोदय ने कहा कि कोरोना काल में गांव के लोग अपने बड़े-बुढ़ों से सुनी हुई इन्हीं स्मृतियों का उपयोग करते हुये कोरोना काल में सावधानियां बरतते रहे तथा इस बीमारी से अपना बचाव करते रहे, इसे मैं सामुदायिक स्मृति (Community Memory) कहता हूँ।

बिलकुल ऐसी ही संस्थागत स्मृति (Institutional Memory) है। पुराने कार्यकर्ताओं से बात करते रहने से हमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे हमारी कार्यशैली में प्रमुख रूप से मार्गदर्शी होते हैं। पुराने कार्यकर्ताओं में यशोधरा केलकर जैसे कार्यकर्ता थे उनकी लिखी किताब ‘‘संगठन कौशल’’ है जिसे मैं समझता हूँ कि नए कार्यकर्ताओं को निश्चित पढ़ना चाहिए। कार्यकर्ताओं का व्यवहार कैसा हो एक कार्यकर्ता को 50 कार्यकर्ता कहा से लाना है, उन्हें कैसे संभालना है, उनके क्या उद्देश्य हैं, उनकी कैसी आदतें हैं जिन्हें संगठन के लिये बनाना है, उन्होंने यह भी कहा कि आपकी आदतें, आपका भविष्य निश्चित करती हैं (Your future is decided by your habits). आप किससे प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आप जिनसे प्रेरित हो रहे हैं वहीं आपकी आदतों का निर्माण करने में सहायक बनते हैं। विद्यार्थी का मतलब है, Innovation (नवाचार), Challenge (चुनौती) Research (अनुसंधान)। छात्र बंधनों में नहीं रहता है उसे भविष्य की चिंता बाद में होती है। इसलिए छात्र जीवन की समाज में महत्वपूर्ण भूमिका है। वह नित्य नये रास्ते बनाता है तथा उस पर आगे बढ़ने के लिए नई सोच पैदा करता है। हमें अपने जीवन में की गई गलतियों पर भी विचार करते रहना होता है।

इसी से जीवन की नई दिशा मिलती है तथा हमारे अनुभव आगे आने वाली समस्याओं का समाधान तथा दिशा देंगे। ‘‘विकासार्थी विद्यार्थी’’ पहल थी। यह 25-30 साल पूर्व आरंभ हुआ था। इनका कार्य था गांव में जाकर गांव के नक्शे बनाना। यही उनकी प्रेरणा का स्रोत बना। गांव में नक्शे बनाने के कार्य से गांव में जुड़ने की दो बातें हुईं, दो पक्ष हुये पहला गांव के लोगों को समझना तथा दूसरा गांव के लोग भी समाज को समझे। वास्तविकता यह है कि गांव का ज्ञान गांव से बाहर ही नहीं जाता है। इसे छवि की वास्तविकता (Image Reality) कहते हैं। ‘‘चलो गांव की ओर’’ अभियान भी इसी का एक अंग है। यह हमारी विशेषता है की हम समग्र दृष्टि से सीखते हैं। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में कार्य किया है इसीलिए मेरा आपसे विशेष आग्रह है कि अनुसूचित जनजाति गांव/क्षेत्रों में आप लोग जाये और अपने अभियान को आगे बढ़ाये।


हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi



माननीय अध्यक्ष महोदय को सम्मेलन के दौरान जनजातीय पोशाक से सम्मानित किया गया।

जैसा कि आप लोग जानते ही है की छत्रपति शिवाजी महाराज को पूर्व में केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित कर दिया गया था उनके कार्यों का अधिक उल्लेख भी नहीं किया गया था। वैसे ही अनुसूचित जनजाति समाज की स्थिति है। उनके पुरखों ने जो भी कार्य किये वो प्रचारित प्रसारित नहीं किये गये, हम नई पीढ़ी में उनके द्वारा किये गये योगदान, बलिदान को समाज में प्रचारित प्रसारित करें ऐसी मेरी इच्छा है। गांव के लोगों को नहीं पता है की उनके पूर्वजों ने क्या कार्य किया हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार द्वारा ‘जनजाति गौरव दिवस’ का आयोजन किया गया ताकि अनुसूचित जनजातियों की भी पहचान बन सके। वर्ष 2017 में यह प्रतिकात्मक रूप से आरंभ हो चुका था जिसके परिणाम अब आ गये है। इसका जनजाति समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पडा है। मध्यप्रदेश इंदौर में अब एक चौराहा का नाम टंट्या भील चौराहा रखा गया है। इसका होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किराये से कमरा लेने में परेशानी होती थी उन्हें कमरे नहीं दिए जाते थे। अब वे कह सकते है कि हम टंट्या भील के समाज से जिनकी मूर्ति चौराहे पर विराजित है यह उनके स्वाभिमान के लिये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति समाज पर जो शोध किये गये है वे सत्य से परे है। जनजाति समाज पर पुनः नये सिरे से शोध किया जाना चाहिए। जनजाति समाज के बारे में शिक्षा पाठयक्रमों में

जैसा कि आप लोग जानते ही है की छत्रपति शिवाजी महाराज को पूर्व में केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित कर दिया गया था उनके कार्यों का अधिक उल्लेख भी नहीं किया गया था। वैसे ही अनुसूचित जनजाति समाज की स्थिति है। उनके पुरखों ने जो भी कार्य किये वो प्रचारित प्रसारित नहीं उनके पूर्वजों ने क्या कार्य किया हैं। इसी कमी को पूरा करने के लिये भारत सरकार द्वारा ‘जनजाति गौरव दिवस’ का आयोजन किया गया ताकि अनुसूचित जनजातियों की भी पहचान बन सके। वर्ष 2017 में यह प्रतिकात्मक रूप से आरंभ हो चुका था जिसके परिणाम अब आ गये है। इसका जनजाति समाज पर भी सकारात्मक प्रभाव पडा है। मध्यप्रदेश इंदौर में अब एक चौराहा का नाम टंट्या भील चौराहा रखा गया है। इसका होना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पूर्व में अनुसूचित जनजाति के छात्रों को किराये से कमरा लेने में परेशानी होती थी उन्हें कमरे नहीं दिए जाते थे। अब वे कह सकते है कि हम टंट्या भील के समाज से जिनकी मूर्ति चौराहे पर विराजित है यह उनके स्वाभिमान के लिये महत्वपूर्ण है। अनुसूचित जनजाति समाज पर जो शोध किये गये है वे सत्य से परे है। जनजाति समाज पर पुनः नये सिरे से

Harsh Chouhan

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN

अध्यक्ष/Chairperson

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

शोध किया जाना चाहिए। जनजाति समाज के बारे में शिक्षा पाठ्यक्रमों में उल्लेख किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी अनुसूचित जनजाति समाज से परिचित हो सके। नये शिक्षा तंत्र में इसकी पहल की जाना आवश्यक है।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था कि विद्यार्थी का मतलब है नवाचार, चुनौती और अनुसंधान उसी को आगे बढ़ाते हुये आप सब एक दूसरे के संपर्क में बने रहे। एक दूसरे से जुडकर जो कार्य करे वे हमारे समाज के लिये उपयोगी हो लगभग ऐसा ही विद्यार्थी परिषद कर रहा है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी..... विद्यार्थियों से यह अपेक्षा है कि वे अनुसूचित जनजाति समाज में जाकर अपना कार्यक्षेत्र बढ़ाये। इसी के साथ मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी सदस्यों को बधाई देता हूं तथा अपेक्षा करता हूं कि वे अपने दायित्वों का निर्वाह मनोयोग से करेंगे। किये गये, हम नई पीढी में उनके द्वारा किये गये योगदान, बलिदान को समाज में प्रचारित प्रसारित करें ऐसी मेरी इच्छा है। गांव के लोगों को नही पता है की।



माननीय अध्यक्ष एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने कार्यक्रम के दौरान जनजातीय मुद्दों से संबंधित पुस्तक का विमोचन किया।

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

8. दिनांक 12 फरवरी 2022 को माननीय अध्यक्ष महोदय और माननीय सदस्य ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 56वें महाराष्ट्र राज्य सम्मेलन, नंदुरबार द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का दौरा किया।



Harsh Chohan

(हर्ष चौहान)

अध्यक्ष

हर्ष चौहान/HARSH CHOUHAN
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi